

jktLFkku I jdkj
आबकारी विभाग, राजस्थान

भाग के थोक व खुदरा विक्रय के
लिये अनुज्ञापत्र हेतु

निविदा प्रलेख
(**TENDER DOCUMENT**)

वर्ष 2010–2011

vkcdkj h foHkx] jktLFkku

क्रमांक :

दिनांक :

fufonk ç i =

प्रेषिति –

vkcdkj h vk; Ør

jktLFkku] mn; i ç

विषय : वर्ष 2010–2011 के दौरान भांग के थोक एवं खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र (Licence) प्राप्त करने हेतु निविदा।


1. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत भांग के थोक एवं खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र (Licence) प्राप्त करने हेतु निवेदन है कि मैंने/हमने आप द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक , निविदा प्रपत्र, निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्रों की शर्तों, जो इस निविदा के अभिन्न अंग हैं, को पढ़ ली हैं, समझ ली हैं एवं इनकी पालना करने के लिए मैं/हम पूर्णरूप से सहमत हूँ/हैं ।
2. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये 4 समूहों में से नीचे वर्णित भांग समूह क्षेत्र में दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 तक भांग पत्ती/भांग घोटा (माजूम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) के खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु स्वेच्छा से यह निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।
3. भांग समूह का नाम ----- (जिसके लिए निविदा दी जा रही है)
4. मैं/हम दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 तक उपर्युक्त समूह में भांग पत्ती/भांग घोटा (माजूम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) के खुदरा विक्रय करने के लिये निम्नानुसार वार्षिक अनुज्ञा फीस पर अनुज्ञापत्र लेने हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं:-

½kf'k : i ; s e½

प्रस्तावित राशि (अंको में) रू.

प्रस्तावित कुल राशि (शब्दों में) रू.

- 5.1 मैं/हम उक्त भांग समूह क्षेत्र में भांग के थोक विक्रय अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ /रहे हैं अथवा नहीं (यदि भांग थोक हेतु आवेदन किया जाता है तो निर्धारित खाने में हॉ लिखकर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर करें ।



(निविदादाताओं के हस्ताक्षर)

5.2 मेरे/ हमारे द्वारा भांग थोक विक्रय अनुज्ञापत्र लेने हेतु आवेदन किये जाने पर मैं/ हम थोक अनुज्ञापत्र के लिए निर्धारित अनुज्ञाफीस रूपये 10,000/- पृथक से भुगतान करने हेतु सहमत हूँ/ हैं ।

6. मैं/हम निविदा सूचना तथा निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित समूह के लिए परिशिष्ट "अ" अनुसार अमानत राशि (Earnest Money) रु. ----- राजकोष चालान/बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न कर रहे हैं। राजकोष चालान/बैंक ड्राफ्ट का विवरण निम्नानुसार है:-

चालान/ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	बैंक का नाम एवं शाखा	राशि

(नोट :- अधिक संख्या में होने पर सूची संलग्न करें)

7. मैं/हम निविदा में प्रस्तावित अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की शर्तानुसार तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों, राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 एवं इनमें समय समय पर हुये एवं होने वाले संशोधनों एवं अधिसूचनाओं /आदेशों के अनुसार देय ड्यूटी, फीस एवं अन्य कर प्रभार, अगर कोई हो, उसका अलग से भुगतान निर्धारित समय पर करने के लिये सहमत हूँ/हैं ।

8. मैं/हम इस निविदा से पाबन्द रहूँगा/रहेंगे । मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत इस निविदा को मुझे/हमें वापस लेने अथवा संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा। मेरे/हमारे द्वारा इसकी अवहेलना किये जाने की स्थिति में मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि आबकारी आयुक्त द्वारा जब्त की जा सकेगी। इसके अलावा समूह के पड़त रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे मेरी/हमारी चल-अचल सम्पतियों से, विभाग के पास मेरी /हमारी जमा अन्य राशियों से तथा हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी । मेरी/हमारी सम्पतियों तथा मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का होगा। यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो मैं/हम उसे पाने के हकदार नहीं होंगे।

9. मेरी/हमारी निविदा स्वीकार हो जाने पर निविदा स्वीकृति की सूची आबकारी आयुक्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने पर मुझे/हमें स्वीकृति की सूचना चस्पा दिनांक को सूचित हुआ, समझा जावेगा।

10. मेरी/हमारी निविदा स्वीकृत होने पर मैं/हम निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक

(निविदादाताओं के हस्ताक्षर)

को छोड़कर) 5 दिवस में या ठेका अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञा फीस के 17 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) नकद जमा करा दूंगा/देंगे। अनुज्ञाराशि की 16.33 प्रतिशत के बराबर शेष धरोहर राशि स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से 10 दिवस अथवा ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, के अन्दर-अन्दर नकद जमा करा दूंगा/ देंगे।

11. मेरी/हमारी निविदा स्वीकृत होने पर मैं/हम निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोड़कर) 10 दिवस में या ठेका अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञा फीस के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारन्टी निर्धारित प्रारूप में जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर दूंगा/देंगे।
12. मुझे/हमें यह विदित है कि मेरे /हमारे द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित धरोहर राशि जमा नहीं कराने, वांछित राशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत नहीं करने पर आबकारी आयुक्त को मेरे/हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति को हमारी जोखिम एवं लागत पर निरस्त करने, मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुये) को जब्त करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु अलग से कोई नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं होगा तथा इस हेतु मैं/हम किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा समूह के पड़त रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे विभाग के पास मेरी/ हमारी जमा किसी भी राशि से, मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू-राजस्व की बकाया की भाँति मेरी/हमारी चल-अचल सम्पतियों से, मेरे / हमारे वारिसों/ उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। मेरी/हमारी सम्पतियों तथा मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का होगा। यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो मैं/हम उसे पाने के हकदार नहीं होंगे।
13. मेरी/हमारी निविदा स्वीकृत होने पर मैं/हम स्वीकृत अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय राशियों का राज्य सरकार को भुगतान करने तथा निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसे जमा कराने के लिए पाबंद रहूंगा/रहेंगे। अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तों का भुगतान सम्बन्धित माह के अंतिम कार्य दिवस तक करने हेतु पाबंद रहूंगा/रहेंगे। मेरे/हमारे द्वारा प्रत्येक माह की मासिक किश्त की राशि को अंतिम कार्य दिवस तक जमा नहीं कराने पर इसे निविदा प्रपत्र, निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा। साथ ही राशि विलम्ब से जमा कराये जाने पर विलम्ब से जमा कराई गयी राशि पर सम्बन्धित माह की 1 तारीख से राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार ब्याज का भुगतान करूंगा/करेंगे। अनुज्ञा फीस की पूर्ति में रही कमी एवं अन्य देय राशियां मय ब्याज यदि कोई हो, उसे मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि, विभाग के पास जमा मेरी/हमारी किसी भी राशि से, मेरे /हमारे द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू-राजस्व की बकाया की भाँति मेरी/हमारी समस्त चल-अचल सम्पतियों, मेरे/हमारे वारिसों /उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। मेरी/हमारी सम्पतियों तथा मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का होगा।
14. मेरे/हमारे द्वारा अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तों को निर्धारित समय पर जमा नहीं कराने, अन्य देय राशियों का भुगतान नहीं करने, निविदा प्रपत्र, निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञा पत्रों की शर्तों की पालना नहीं करने अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर आबकारी विभाग को मेरे/हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति /अनुज्ञा पत्र को मेरी/हमारी जोखिम एवं लागत पर निरस्त करने तथा मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुये) को जब्त करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु मैं/हम किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। साथ ही समूह के पड़त रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे विभाग के पास मेरी/हमारी जमा किसी भी राशि से, मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू-राजस्व की बकाया की भाँति मेरी/हमारी चल-अचल सम्पतियों से, मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। मेरी/हमारी सम्पतियों तथा मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का होगा।

(निविदादाताओं के हस्ताक्षर)

- यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो मैं/हम उसे पाने के हकदार नहीं होंगे।
15. मैं/हम वयस्क हूँ/हैं एवं हर दृष्टि से अनुबन्ध करने की योग्यता रखता हूँ/रखते हैं।
16. मैं/हम विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्र को धारण करने की योग्यता रखता हूँ/रखते हैं।
17. मैं/हम समस्त निविदादाता इस निविदा के संबंध में संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से आबकारी विभाग के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
18. मेरे/हमारे नाम, पता आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	निविदा दाताओं के नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	पूरा पता: मकान नं. मौहल्ला, गांव तहसील जिला एवं राज्य	निविदादाताओं के हस्ताक्षर

19. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत इस निविदा के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा।
20. मेरे/हमारे द्वारा निविदा में जो भी विवरण प्रस्तुत किया है वह पूर्ण रूप से सही है तथा इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ/हैं।

(निविदादाताओं के हस्ताक्षर)

आबकारी विभाग, राजस्थान

निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तें

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान भांग समूहों में भांग के थोक एवं खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञापत्र (Licence) प्राप्त करने हेतु निविदा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तें :-

1. वुकक ओल दस वकेकज इज हकक फोड; दस वुकक इ = फन; स तकुस गुरगु फुफोन्कवका दक वकेक. क%
 - 1.1 आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2010-11 हेतु परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित 4 भांग समूहों में सम्मिलित भांग पत्ती/भांग घोटा (माजूम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की खुदरा दुकानों पर उनके विक्रय के लिए एवं समूह क्षेत्र में भांग थोक विक्रय हेतु राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत अनुज्ञा फीस के आधार पर अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
2. हकक इ एगका दक फोोज. क :-
 - 2.1 भांग समूहों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है जिसमें प्रत्येक भांग समूह में सम्मिलित भांग पत्ती/भांग घोटा (माजूम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की खुदरा दुकानों की संख्या, आरक्षित राशि एवं जमा कराई जाने वाली अमानत राशि (अर्नेस्टमनी) दर्शायी गई है।
 - 2.2 प्रत्येक समूह अपने आप में एक स्वतन्त्र इकाई है तथा एक समूह का अन्य समूहों से किसी प्रकार का कोई सह-सम्बन्ध नहीं है।
3. हकक फकसद फोड; गुरगु वुककि = तकिह दजुक %
 - 3.1 भांग समूह क्षेत्र में भांग के थोक विक्रय हेतु भी अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जा सकेंगे परंतु इस हेतु वे व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इस भांग समूह क्षेत्र में भांग के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत की है अथवा जिन्हें उस समूह क्षेत्र के खुदरा विक्रय का अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है।
 - 3.2 भांग थोक अनुज्ञापत्र हेतु वार्षिक अनुज्ञा फीस रूपये 10,000/- पृथक से भुगतान करना होगा।
 - 3.3 अनुज्ञाधारी को भांग थोक विक्रय अनुज्ञापत्र केवल उसी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया जायेगा जिसमें उस अनुज्ञाधारी को भांग के खुदरा विक्रय हेतु अनुमति/अनुज्ञापत्र जारी किया गया है।
 - 3.4 यदि किसी कारणवश भांग खुदरा समूह की स्वीकृति को निरस्त किया जाता है तो भांग थोक अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
4. वुककि =का दक कः इ , ओा 'क्रः :-

भांग के थोक एवं खुदरा विक्रय हेतु जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्रों के प्रारूप एवं उनसे संबंधित शर्तें साथ में संलग्न हैं।
5. वुकक ओल दस वफरिजडर नस मः व/ह] ओल रफक वल; दज चहकज वकfn दक हककरकु :-

निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर उसे अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्रों की शर्तानुसार तथा

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों, एवं इनमें समय समय पर हुये एवं होने वाले संशोधनों एवं अधिसूचनाओं/आदेशों के अनुसार देय ड्यूटी, फीस एवं अन्य प्रभार अगर कोई हो, का अलग से भुगतान निर्धारित समय में करना होगा।

6- fufonk çLrqr djus ds fy; s ik=rk :-

- 6.1 एकल व्यक्ति के द्वारा निविदा प्रस्तुत की जा सकती है।
- 6.2 "व्यक्तियों के समूहों" के नाम से भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। "व्यक्तियों के समूह" के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में "व्यक्तियों के समूह" में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के नाम, पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा। व्यक्तियों के समूह के नाम से निविदा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्ति अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेंगे एवं निविदा/अनुज्ञा पत्र की शर्तों से बाध्य होंगे तथा समूह में सम्मिलित सभी व्यक्ति अनुज्ञा फीस की पूर्ति के लिये संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नहीं रहेगा। ऐसे समूह में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे।
- 6.3 साझीदारी फर्म के नाम से भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। साझीदार फर्म के नाम से निविदा दिये जाने की स्थिति में समस्त साझीदारों के नाम पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा तथा पार्टनरशिप डीड संलग्न करनी होगी। सभी साझीदार अनुज्ञा फीस की पूर्ति के लिए संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे एवं अनुज्ञापत्र की अवधि तक बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुज्ञा पत्र से अपना नाम वापस नहीं ले सकेंगे। सभी साझीदारों को निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- 6.4 कम्पनी द्वारा भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। कम्पनी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर सभी निदेशकों का संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से असीमित उत्तरदायित्व होगा। कम्पनी के लिए निम्न अतिरिक्त सूचनायें देना भी अनिवार्य होगा :-
- (1) कम्पनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन/आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रमाणित प्रति।
- (2) निदेशकों के नाम व पूर्ण पते।
- (3) अन्तिम लेखों की अंकेक्षित प्रति।
- 6.5 अवयस्क तथा अनुबन्ध करने के लिये किसी भी रूप से अयोग्य व्यक्तियों को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
- 6.6 आबकारी अनुज्ञापत्र धारण करने के लिये अयोग्य व्यक्तियों को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
- 6.7 निविदादाता के विरुद्ध आबकारी बकाया होने की स्थिति में उनके द्वारा बकाया राशियां जमा कराने पर ही प्रस्तुत निविदा पर विचार किया जायेगा। वर्ष 2009-10 के अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2009 तक की किसी प्रकार की आबकारी बकाया होने की स्थिति में उनके द्वारा देय राशियां जमा कराने पर ही प्रस्तुत निविदाओं पर विचार किया जा सकेगा।

7- fufonk ea çLrkfor l eug dk uke rFkk vuqKk Ohl :-

- 7.1 निविदा में प्रस्तावित समूह का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावें।
- 7.2 प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग निविदा प्रपत्र पर निविदा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदादाता द्वारा एक से अधिक समूह के लिए भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु प्रत्येक समूह के लिए पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र पर निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 7.3 संबंधित भाग समूह के लिए प्रस्तावित अनुज्ञा फीस उस समूह के भाग पत्नी/भाग घोटा (माजूम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की खुदरा दुकानों के लिए निर्धारित आरक्षित राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

7.4 प्रस्तावित समूह के लिए निविदा प्रपत्र में वही राशि अंकित की जावे जो निविदादाता दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 तक की अवधि के लिए अनुज्ञा फीस के रूप में देना चाहता है।

8- fufonk fuëkkfjr ç i = e çLrç djuk :-

8.1 निविदा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी। फैंक्स अथवा अन्य किसी प्रकार से निविदा प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी।

8.2 निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जावे एवं निविदा राशि स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में लिखी जावे। अंकों एवं शब्दों में लिखी जाने वाली राशि एक समान होनी चाहिये।

8.3 निविदादाता(ओं) को निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अपना पूरा नाम, पिता/पति का नाम, आयु, पूरा पता संबंधी विवरण का उल्लेख करना होगा।

8.4 निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे।

8.5 निविदा पर किसी प्रकार की कांट-छांट नहीं की जावे और न ही अक्षरों के उपर अक्षर लिखे जावे। अगर किसी गलती को ठीक करना है तो अलग से लिखकर उस जगह प्रमाणीकरण हेतु हस्ताक्षर किये जावे।

9- fufonk ds l kfk vekur jkf'k (Earnest Money) tek djuk :-

निविदादाता को प्रस्तावित समूह के लिए परिशिष्ट 'अ' में वर्णित संबंधित समूह के लिये अंकित अमानत राशि (Earnest money) जमा कराना आवश्यक होगा। यह राशि राजस्थान के किसी भी कोषालय में बिना ब्याज वाली मद "8443-सिविल जमा (Civil Deposit), 103-प्रतिभूति जमा" में जमा कराई जाकर ट्रेजरी चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। अमानत राशि आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में उदयपुर में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी संलग्न की जा सकती है। बैंक, एफ.डी.आर., एन.एस.सी. अथवा अन्य किसी प्रलेख इत्यादि द्वारा अमानत राशि का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के साथ वांछित अमानत राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

10- fufonk çLrç djus dk LFkku o l e; :-

निविदा निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में निर्धारित दिनांक एवं समय तक निर्दिष्ट कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। लिफाफे पर समूह का नाम एवं प्रस्तावित राशि का अंकन नहीं किया जावे। परन्तु बन्द लिफाफे पर "भाग समूह के लिए निविदा" लिखना होगा। निविदा व्यक्तिगत रूप से तथा रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदा निर्दिष्ट कार्यालय में इस हेतु रखे गये बॉक्स में डालनी होगी। डाक द्वारा प्रेषित निविदा निर्धारित स्थान, दिनांक व समय तक प्राप्त न होने की स्थिति में इसके लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

11. fufonk çLrç djus ds i'pk-r ml e fdl h çdkj dk l dkkëku ugh fd; k tkuk rFkk oki l ugh fy; k tkuk %&

प्रत्येक निविदादाता उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा से पाबन्द रहेगा। प्रस्तुत की गई निविदा को वापस लेने अथवा उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा। निविदादाता द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि जब्त सरकार की जा सकेगी। इसके अलावा समूह के पड़त रहने अथवा दोबारा टेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे निविदादाता की चल-अचल सम्पतियों से, विभाग के पास उनकी जमा अन्य राशियों से तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। निविदादाता की सम्पतियों तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो निविदादाता उसे पाने का हकदार नहीं होगा।

12. fufonk [kksyus dk LFkku o l e; :-

निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष इस विभाग द्वारा जारी निविदा सूचना में अंकित समय व स्थान पर खोली जायेगी।

13. fufonknkrk }kjk çLrkfor dkkZ 'krZ vFkok vugjkek eklU; ugh gksxk :-

निविदादाता द्वारा प्रस्तावित किसी प्रकार की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। इसके अलावा निविदा के सम्बन्ध में इन विस्तृत निर्देशों एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्र की शर्तों के विपरीत किसी प्रकार का कोई अनुरोध भी मान्य नहीं होगा। इसके लिये निविदादाता को पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

14. fufonk Lohd'r djus dk vfekdjk :-

14.1 आबकारी आयुक्त को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदादाता कोई आपत्ति करने एवं क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

14.2 विभाग किसी भी समूह का बन्दोबस्त किसी भी आधार एवं प्रक्रिया अपनाकर कर सकेगा।

15. fufonk Lohd'fr dh l'put :-

15.1 जिस निविदादाता की निविदा अनुमोदित की जावेगी, उसके लिए स्वीकृति आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

15.2 निविदा स्वीकृति की सूची आबकारी आयुक्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने पर निविदादाता को निविदा की स्वीकृति चस्पा दिनांक को सूचित किया हुआ माना जायेगा।

16. ekjkgj jkf'k tek djuk (Security Deposit):-

16.1 धरोहर राशि स्वीकृत अनुज्ञाफीस की 33.33 प्रतिशत होगी। निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोड़कर) 5 दिवस या ठेका अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञाफीस के 17 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को समायोजित करते हुए) नकद जमा करानी होगी। स्वीकृत अनुज्ञा राशि की 16.33 प्रतिशत के बराबर शेष धरोहर राशि स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से 10 दिवस अथवा ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, के अन्दर-अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी।

16.2 धरोहर राशि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में नकद, राजकोष चालान, बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा जमा कराई जानी है।

16.3 धरोहर राशि विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब अवधि का 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, परन्तु ब्याज के भुगतान की शर्त के आधार पर निविदादाता को धरोहर राशि जमा कराने की निर्धारित समय सीमा में कोई छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। 17 प्रतिशत धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को समायोजित करते हुये) के लिए विलम्ब अवधि की गणना निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक को छोड़कर 5 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारम्भ होने की दिनांक से, जो भी पहले हो, की जायेगी। शेष 16.33 प्रतिशत धरोहर राशि के लिए विलम्ब अवधि की गणना निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक को छोड़कर 10 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारम्भ होने की दिनांक से, जो भी पहले हो, की जायेगी।

16.4 अनुज्ञाधारी द्वारा स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2010-2011 हेतु देय अनुज्ञा शुल्क के 66.67 प्रतिशत के बराबर अनुज्ञा शुल्क की राशि मय ब्याज (यदि कोई हो) जमा करवा देने तथा धरोहर राशि जब्त नहीं होने या अन्यथा समायोजित नहीं किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि को वर्ष 2010-11 की शेष अवधि की अन्तिम मासिक किश्तों पेटे माह मार्च, 2011 में समायोजित किया जा सकेगा। जमा धरोहर राशि को अन्तिम किश्तों पेटे समायोजित करने पर अन्तिम किश्तों की राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

17. चक्रित खकलुवह चक्रित दकुक :-

- 17.1 निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोड़कर) 10 दिवस में या ठेका अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, निविदादाता को स्वीकृत अनुज्ञा फीस के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारन्टी विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- 17.2 बैंक गारंटी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए जो राजस्थान में स्थित बैंक की किसी शाखा पर भुगतान योग्य हो। बैंक गारन्टी, गारन्टी अवधि के दौरान अखण्डनीय (**Irrevocable**) रहेगी तथा किसी भी आधार पर बैंक अथवा अनुज्ञाधारी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा। आबकारी विभाग द्वारा बैंक गारन्टी के भुगतान की मांग (**invoke**) किये जाने पर बैंक को इसका तुरन्त नकद भुगतान करना होगा। भुगतान बाबत बैंक अथवा अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा।
- 17.3 बैंक गारन्टी विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब अवधि का 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, परन्तु ब्याज के भुगतान की शर्त के आधार पर निविदादाता को बैंक गारन्टी प्रस्तुत कराने की निर्धारित समय सीमा में कोई छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। विलम्ब अवधि की गणना निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक को छोड़कर 10 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारम्भ होने की दिनांक से जो भी पहले हो की जायेगी।
- 17.4 जो अनुज्ञाधारी बैंक गारंटी के एवज में नकद राशि जमा करवायेंगे, उनकी जमा नकद राशि अन्यथा समायोजित नहीं किये जाने की स्थिति में माह नवम्बर की मासिक किश्त पेटे माह मार्च 2011 में समायोजित की जा सकेगी। इस प्रकार जमा राशि का समायोजन किये जाने पर ब्याज की राशि देय नहीं होगी।

18. वुकक ि = त्कjh fd; k tkuk :-

किसी भी निविदादाता की निविदा/प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकृत होने पर उसे आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 36 के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अनुज्ञाधारी माना जायेगा परन्तु वांछित धरोहर राशि जमा कराने, वांछित बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने, अन्य आवश्यक फीस आदि जमा कराने व आवश्यक दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विधिवत् अनुज्ञा पत्र जारी किये जायेंगे।

19. वुकक Qhl , oa vU; ns jkf'k; ka dk Hkxrkku :-

- 19.1 अनुज्ञा फीस की पूर्ति समान मासिक किश्तों में करनी होगी। अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तों का भुगतान सम्बन्धित माह के अंतिम कार्य दिवस तक करना होगा। प्रत्येक माह की मासिक किश्त की राशि को उसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा नहीं कराने पर इसे निविदा प्रपत्र, निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा। साथ ही विलम्ब से जमा करायी गई अनुज्ञा फीस पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। मासिक किश्त को सम्बन्धित माह के अन्तिम कार्य दिवस तक जमा नहीं कराने पर मासिक किश्त की शेष राशि पर उसी माह की 1 तारीख से ब्याज की गणना की जायेगी। अनुज्ञा फीस की पूर्ति में रही कमी एवं अन्य देय राशियां मय ब्याज यदि कोई हो, निविदादाता/अनुज्ञाधारी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि, विभाग के पास जमा उनकी किसी भी राशि से, अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू-राजस्व की बकाया की भौति उनकी समस्त चल-अचल सम्पतियों, वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। निविदादाता/अनुज्ञाधारी की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।
- 19.2 भांग थोक विक्रय की अनुमति दिये जाने पर स्वीकृति दिनांक से 10 दिवस में वार्षिक अनुज्ञाफीस की राशि रूपये 10,000/- एक मुश्त भुगतान करनी होगी।

20. वुकक ि = ea vU; 0; fDr; ka dk uke tMokuk :-

निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त व्यवसाय संचालन हेतु यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी अन्य व्यक्ति को साथ लेकर "व्यक्तियों का समूह" बनाना चाहता हो अथवा "व्यक्तियों के समूह" में अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित

करना चाहता हो तो इसके लिए उसे नियमानुसार राशि जमा कराते हुए अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस प्रकार नये सम्मिलित व्यक्ति भी अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जावेंगे एवं वे निविदा प्रपत्र, निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञा पत्रों की शर्तों से बाध्य होंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति समूह के सभी दायित्वों की पूर्ति हेतु संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। ऐसे समूह में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे।

21. ekjkgj jkf'k tek ugh djkus@cfd xkjUVh cLr r ugh djus ij tkjh Lohdfr dks fujLr djuk :-

अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित धरोहर राशि जमा नहीं कराने एवं/अथवा वांछित राशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत नहीं करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा उनके पक्ष में जारी की गई स्वीकृति को निविदादाता/अनुज्ञाधारी की जोखिम एवं लागत पर निरस्त कर जमा कराई गई धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुये) को जब्त किया जा सकेगा तथा इस हेतु अलग से कोई नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं होगा तथा इस हेतु निविदादाता/अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा समूह के पड़त रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसकी वसूली निविदादाता/अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू-राजस्व की बकाया की भाँति उनकी चल-अचल सम्पतियों से, उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। निविदादाता/अनुज्ञाधारी की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो निविदादाता/अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नहीं होंगे।

22. vuKk Qhl , oa vll; ns jkf'k; kW tek ugh djku fufonk ci = rFkk vuKki =ka dh 'krk vkfn dk mYy?ku djus ij tkjh Lohdfr @vuKki = fujLr djuk :-

अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तों एवं अन्य देय राशियों को निर्धारित समय पर जमा नहीं कराने, निविदा प्रपत्र, निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञा पत्रों की शर्तों की पालना नहीं करने तथा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर आबकारी विभाग को निविदादाता/अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति/अनुज्ञा पत्र को उनकी जोखिम एवं लागत पर निरस्त करने तथा उनके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुये) को जब्त करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु वे किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। साथ ही समूह के पड़त रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे सम्बन्धित निविदादाता/अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू-राजस्व की बकाया की भाँति उनकी समस्त चल-अचल सम्पतियों से, उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। निविदादाता/अनुज्ञाधारी की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो निविदादाता/अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नहीं होंगे।

23. Hkkax iRrhj Hkkax ?kkv/k dh vfrfjDr nqkua %&

निविदा स्वीकृत किये जाने के उपरान्त अनुज्ञाधारी के निवेदन पर समूह क्षेत्र में भांग पत्ती, भांग घोट्टा (माजूम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की सम्मिलित दुकानों की 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त दुकान/दुकानें आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी। इस हेतु प्रति दुकान निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी।

अतिरिक्त दुकान का क्षेत्र	जमा करायी जाने वाली राशि (रूपयों में)
1. एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर	10,000
2. अन्य स्थान	5,000

24. 'kfd fnol ka dh i kyuk %

वर्ष 2010-11 हेतु नियत 5 शुष्क दिवसों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महावीर जयंती, गांधी जयन्ती एवं 30 जनवरी) पर दुकानें बंद रखनी होंगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त/अनुज्ञापत्र स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश भांग की दुकानें बन्द रखने या उनके विक्रय के सम्बन्ध में परिवर्तन किया जा सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न अनुज्ञा फीस में कोई कमी की जायेगी।

25. Hkkx ij oV (VAT) dh nj %

वर्ष 2010-11 के लिए भांग हेतु वेट राज्य सरकार के नियमानुसार अलग से देय होगा।

26. fookn vkfn dh fLFkr ea fu.kZ :-

समूह के क्षेत्र, निविदा एवं निविदा की शर्तों या अनुज्ञापत्रों की शर्तों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद अथवा अस्पष्टता उत्पन्न होने तथा किसी तकनीकी त्रुटि, विषमता, लोप आदि की स्थिति के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा एवं अनुज्ञाधारी उससे बाध्य होगा।

27. U; k; ky; dk {ks=kfekdkj :-

निविदा के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा।

(To be issued by the scheduled bank having it's branch office in the state of Rajasthan on non-judicial stamp of proper value as per the stamp Act in force)

PROFORMA OF BANK GUARANTEE

Bank guarantee No. _____

Dated _____

- (1) Whereas the Governor of the state of Rajasthan (hereinafter called "the Government") having agreed to grant licence (s) to Sh. / M/s _____ (hereinafter called "the said licensee (s)") after complying with certain prerequisite conditions by the licensee as per sanction letter no. _____ dated _____ issued in favour of the licensee and as per the terms and conditions of the licence to be issued (hereinafter called "the said licence (s)") for retail sale of Bhang and wholesale in the area of Bhang Group _____ at licence fee of Rs. _____ for the period of 1-4-2010 to 31-3-2011. And whereas under the terms and conditions of sanction the said licensee (s) is required to submit Bank guarantee equal to 10% of licence fee for the year 2010-11.

We _____ (hereinafter

(indicate the name of Bank)

referred to as "the Bank") at the request of _____ (licensee (s)) do hereby undertake to pay to the government not exceeding Rs. _____ (Rs. _____ only) against any breach of terms and conditions of said licences or non fulfillment or violation of any terms and conditions of the said licence (s) or any amount due against the said licensee.

2. We _____ do hereby undertake to pay the amounts

(indicate the name of Bank)

due and payable under this guarantee immediatly, without any demur or protest, merely on a demand from the District Excise Officer or any higher authority of the excise department on behalf of government stating that the amount claimed is due by way of any breach of terms and conditions of said licences or non fulfillment or violation of any terms and conditions of the said licences or any amount due against the said licensee or by reason of failure of the licensee (s) to comply with the conditions of said licences. Any such demand made on the Bank shall be conclusive, absolute and unequivocal as

regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, the bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. _____ (Rs. _____ only).

3. We _____ do hereby undertake to pay to the

(indicate the name of Bank)

Government an amount so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Licensee(s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto, the Bank's liability under this present being absolute , unequivocal and unconditional. The payments so made by the Bank under this guarantee shall be valid discharge of our liability for payment thereunder and the Licensee(s) shall have no claim against the Bank for making such payment.

4. We _____ further agree that the guarantee

(indicate the name of Bank)

herein, above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said licences and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said licences have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the District Excise Officer _____ certifies that the terms & conditions of the said licences have been fully and properly carried out by the said licensee(s) and accordingly discharges this guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the 30th June, 2011, the Bank shall be discharged from all liabilities under this guarantee thereafter. However if the last date of expiry of the Bank guarantee happens to be a holiday of the Bank, the Bank guarantee shall expire on the close of the next working day.

5. We _____ further agree that the Government shall

(indicate the name of Bank)

have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner the Bank's obligation hereunder to vary any of the terms & conditions of the said licences , or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said licensee(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said licences and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said licensee(s) or for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said licensee(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. This guarantee herein contained would come in to force from the date of issue and will not be discharged/ vitiated or affected due to the change in the Constitution of the Bank or the licensee(s) or addition of names of the other persons in the licence(s).

7. We _____ undertake not to revoke this guarantee
(indicate the name of Bank)
during its currency except with the previous consent of the Government in writing.
8. The Bank guarantee shall be payable at the District head quarter branch
_____ in the State of Rajasthan.
(indicate the name of Bank & branch)
9. The Bank has power to issue this guarantee in favour of the Government and the undersigned has full power to do so under power of Attorney dated _____ granted to him by the Bank.
10. In witnesseth I hereby _____ son of _____
(Full name) (Full name)
Designation _____ Branch _____
constituted attorney of the said Bank has set my signature and Bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the State of _____ executed this day _____ of _____ year 2010.

For and on behalf of the Bank (Indicate the Bank)

(Signature & Designation with seal)

Hkkx [kqjk foØ; vuqk i = %ykb] §I ½ dh 'krz

1. jktLFkku vkcdkjh vfekfu; e 1950 , oa ml ds vUrxr cus fu; eka rFkk ukj dksVd MxI , oa l kbZkS/kfi d l Cl V§I st , DV 1985 , oa jktLFkku ukj dksVd MxI , oa l kbZkS/kfi d l Cl V§I st : YI 1985 vkfn dh ikyuk :-

अनुज्ञाधारी, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या-2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 एवं निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा।

2. vuqk QhI , oa vU; jkf'k; kW rFkk mudk Hkxrk :

- 2.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2010-11 (दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 तक) की अवधि के लिए अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित अनुज्ञा फीस रुपये (अंकों में) रुपये
..... (शब्दों में) का भुगतान करना होगा।

- 2.2 अनुज्ञाधारी अपने थोक अथवा राज्य में स्थित अन्य थोक अनुज्ञाधारी से खुदरा में भांग का स्थानान्तरण / क्रय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के आधार पर ही कर सकेगा एवं उसे इस हेतु नियमानुसार परमिट फीस अदा करनी होगी।

- 2.3 उपर्युक्त राशियों के अलावा फीस एवं अन्य कर प्रभार, अगर कोई है, का अलग से भुगतान करना होगा।

- 2.4.1 उपर्युक्त अनुज्ञा फीस की पूर्ति बराबर मासिक किश्तों में करनी होगी। प्रत्येक माह की अनुज्ञा फीस की किश्त का भुगतान उसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक करना होगा।

- 2.4.2 विलम्ब से जमा करायी गयी अनुज्ञा फीस पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा।

3. vuqki = dh o§kkfud fLFkr :-

- 3.1 जिन व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वे व्यक्ति ही अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जायेंगे तथा वे ही इस अनुज्ञापत्र के तहत समूह क्षेत्र में भांग की बिक्री करने हेतु अधिकृत होंगे।

- 3.2 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञापत्र हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर भांग समूह को नियमानुसार फिर से उठाया जा सकेगा। यदि अनुज्ञाधारी का कोई वैध वयस्क उत्तराधिकारी हो, तो उसकी प्रार्थना पर अनुज्ञापत्र उसके नाम पर जारी किया जा सकेगा। किसी समूह में एक से अधिक अनुज्ञाधारी होने की स्थिति में यदि किसी अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की शर्तों से यथावत् बाध्य रहेंगे।

3.3 “व्यक्तियों के समूह” के नाम पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्वीकृत “व्यक्तियों के समूह” में सम्मिलित समस्त व्यक्ति सह-अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेंगे एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों से बाध्य होंगे। सभी सह-अनुज्ञाधारी आबकारी बकाया एवं अन्य दायित्वों के लिए संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नहीं रहेगा। ऐसे “व्यक्तियों के समूह” में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे।

3.4 व्यवसाय संचालन हेतु यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी अन्य व्यक्ति को साथ लेकर “व्यक्तियों का समूह” बनाना चाहता हो अथवा “व्यक्तियों के समूह” में अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहता हो तो इसके लिए उसे नियमानुसार राशि जमा कराते हुए अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस प्रकार नये सम्मिलित व्यक्ति भी अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जावेंगे एवं वे निविदा प्रपत्र, निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्र की शर्तों से बाध्य होंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति समूह के सभी दायित्वों की पूर्ति हेतु संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नहीं रहेगा। ऐसे “व्यक्तियों के समूह” में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे।

4. ekjkgj jkf'k , oa cfd xkjUVh %&

4.1 धरोहर राशि : धरोहर राशि स्वीकृत अनुज्ञाफीस की 33.33 प्रतिशत होगी। निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोड़कर) 5 दिवस या ठेका अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञाफीस के 17 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को समायोजित करते हुए) नकद जमा करानी होगी। स्वीकृत अनुज्ञा राशि की 16.33 प्रतिशत के बराबर शेष धरोहर राशि स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से 10 दिवस अथवा ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, के अन्दर-अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी। अनुज्ञाधारी द्वारा स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2010-11 हेतु देय अनुज्ञा शुल्क के 66.67 प्रतिशत के बराबर अनुज्ञा शुल्क की राशि मय ब्याज (यदि कोई हो) जमा करवा देने तथा धरोहर राशि जब्त नहीं होने या अन्यथा समायोजित नहीं किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि को वर्ष 2010-11 की शेष अवधि की अन्तिम मासिक किश्तों पेटे माह मार्च, 2011 में समायोजित किया जा सकेगा। जमा धरोहर राशि को अन्तिम किश्तों पेटे समायोजित करने पर अन्तिम किश्तों की राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

4.2 बैंक गारन्टी : अनुज्ञाधारी को निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोड़कर) 10 दिवस में या ठेका अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञा फीस के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारन्टी विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारन्टी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए जो राजस्थान में स्थित बैंक की किसी शाखा पर भुगतान योग्य हो। बैंक गारन्टी, गारन्टी अवधि के दौरान अखण्डनीय (Irrevocable) रहेगी तथा किसी भी आधार पर बैंक अथवा अनुज्ञाधारी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा। आबकारी विभाग द्वारा बैंक गारन्टी के भुगतान की मांग (invoke) किये जाने पर बैंक को इसका तुरन्त नकद भुगतान करना होगा। भुगतान बाबत बैंक अथवा अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा।

5. ndkuka dh vofLFkfr :-

5.1 अनुज्ञाधारी अनुज्ञा के लिए निर्धारित क्षेत्र में भांग की सम्मिलित दुकानों की संख्या तक किसी भी स्थान पर नियमानुसार दुकान लगा सकेगा परन्तु इसके लिये उसे अपने क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी से दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करानी होगी। बिना स्वीकृति के अनुज्ञाधारी दुकानों का संचालन नहीं कर सकेगा।

- 5.2 अनुज्ञाधारी दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व दुकानों की अवस्थिति की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। तदुपरान्त आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस में जिला आबकारी अधिकारी अपने निर्णय से अनुज्ञाधारी को अवगत करायेगा। उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गई अवस्थिति पर दुकान लगाने की स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा अनुज्ञा फीस अथवा अन्य देय राशियों में छूट पाने का हकदार नहीं होगा। साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृति कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।
- 5.3 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटा सकेगा। इस प्रकार स्वीकृत दुकानों को एक स्थान से उसी समूह क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नहीं करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा अनुज्ञा फीस में छूट पाने का हकदार नहीं होगा।
- 5.4 समूह में सम्मिलित दुकानों की संख्या तक दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत नहीं कराने अथवा किसी कारण वश उन्हें संचालित नहीं करने की स्थिति में अनुज्ञाधारी अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय राशियों में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नहीं होगा।
- 5.5 अनुज्ञाधारी को अपने समूह की सीमा के 2.5 किलोमीटर शुष्क क्षेत्र (Dry zone) में कोई नई दुकान संचालन करने की अनुमति नहीं होगी।
- 5.6 अनुज्ञाधारी भांग की दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नहीं लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घण्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी।
- 5.7 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नहीं लगा सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।
- 5.8 अनुज्ञाधारी राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य राज मार्ग के मध्य से दोनों ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तय दूरियों पर विकसित बाजारों में दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करा सकेगा, किन्तु जहां ऐसे बाजार नहीं हैं वहां मार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर की दूरी तक दुकान नहीं लगा सकेगा किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की आधिकारिता एवं सीमा से गुजरने वाले उक्त मार्गों पर लागू नहीं होगी।
- 5.9 दुकानों की अवस्थिति बाबत उक्त प्रतिबन्धों में पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

5.10 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर कम से कम 75 x 125 से.मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम, भांग समूह का नाम व दुकान का विवरण लिखा हो, लगाना होगा। आमतौर से भांग की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रख सकेगा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियों/टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा।

5.11 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस समूह क्षेत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर भांग की अनुज्ञा फीस की पूर्ति में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

5.12 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से समूह में स्वीकृत कराई गई दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा।

6. नदकुा dk l pkyu % -

6.1.1 अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार दुकानें खुली रख सकेगा। परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

6.1.2 वर्ष 2010-11 हेतु नियत 5 शुष्क दिवसों पर एवं भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रखनी होगी। शुष्क दिवसों की सूचना अनुज्ञाधारी संबंधित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय-समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न अनुज्ञा फीस में ही कोई कमी की जावेगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती है तो भी अनुज्ञा फीस में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।

6.1.3 राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त अथवा अनुज्ञापत्र देने वाला अधिकारी अनुज्ञाधारी को बिना नोटिस दिये शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश भांग के विक्रय के समय में परिवर्तन कर सकेगा या दुकान बन्द रखने की आज्ञा दे सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न अनुज्ञा फीस में कोई कमी की जायेगी।

6.2 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर राजकीय भण्डागार /अपनी थोक दुकान/अन्य थोक अनुज्ञाधारी से अधिकृत रूप से क्रय की गई भांग ही विक्रय करेगा। यह भांग वह भण्डागार / थोक से तय मार्ग से निर्धारित समयावधि में सुरक्षित अवस्था में लायेगा व परिवहन के समय पास साथ में रखना होगा। अपनी दुकान पर लाई गई भांग को किसी भी अन्य स्थान पर नहीं रखेगा।

6.3 लाईसेन्स देने वाले अथवा उससे उच्च अधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी महीने में भांग के क्रय/विक्रय पर समुचित नियंत्रण लगा सके। अनुज्ञाधारी इस नियंत्रण के लिए कोई क्षतिपूर्ति पाने या अनुज्ञा फीस में कमी कराने का हकदार नहीं होगा।

- 6.4 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर अधिकृत रूप से लाई गई भांग की ही बिक्री करेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना अन्य किसी पदार्थ की बिक्री नहीं कर सकेगा।
- 6.5 अनुज्ञाधारी भांग लाने व बेचने के लिए किसी वयस्क व्यक्ति को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की स्वीकृति से ही नौकर रख सकेगा परन्तु ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक काम के लिए अनुज्ञाधारी स्वयं उत्तरदायी होगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थिति की अवस्था में अनुज्ञाधारी के माता, पिता पत्नी एवं वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अनुज्ञाधारी भांग बेचने व लाने के लिए अपनी दुकान पर किसी ऐसे व्यक्ति को नौकर नहीं रख सकेगा जिसे कोई संक्रामक रोग हो या जो आबकारी एवं फौजदारी जुर्म में आदतन अपराधी अथवा वान्टेड हो।
- 6.6 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में भांग की इतनी मात्रा रखनी होगी जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो। भांग का सारा स्टॉक उसी दुकान पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है।
- 6.7 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में 200 ग्राम से अधिक भांग बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा के एक साथ नहीं बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी आज्ञा के विरुद्ध वह कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।
- 6.8.1 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरुस्त न हो, भांग नहीं बेच सकेगा। इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल व आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, भांग नहीं बेच सकेगा। वाहन चालकों को एवं हवाई जहाज के पायलटों को भी यात्रा के दौरान भांग नहीं बेच सकेगा।
- 6.8.2 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआ नहीं होने देगा और ऐसे लोगों को जो कुख्यात बदमाश हों, दुकान पर आने नहीं देगा और रात को ऐसे बदमाशों को अपनी दुकान पर नहीं ठहरायेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता हो तो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दें।
- 6.9 अनुज्ञाधारी को भांग का विक्रय निर्धारित तोल से करना होगा। तोल के बाट हर समय साफ व स्वच्छ हालत में रखने होंगे। भांग से कोई अन्य चीज नहीं बना सकेगा, न बेच सकेगा। भांग के विक्रय मूल्य की एवज में कोई अन्य वस्तु नहीं लेगा।
- 6.10 जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञाधारी किसी मेले में अस्थाई तौर पर दुकान नहीं लगा सकेगा।

7. वित्तिकृतियाँ :-

- 7.1 अनुज्ञाधारी को भांग की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा। प्रतिदिन का हिसाब दुकान बंद करने के साथ उसी दिन ही लिखना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।

7.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं भांग का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा।

7.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को भांग के बचे हुए स्टॉक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्र धारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

8. वुककि = दकस फुजलर दजुक :-

8.1 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञा फीस की मासिक किशतों का भुगतान अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.4.1 के तहत निर्धारित तिथि तक करना आवश्यक होगा। प्रत्येक माह की मासिक किशत की राशि को उसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा नहीं कराने पर इसे अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा इस आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

8.2 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालू नहीं रखता है अथवा ठीक तौर पर नहीं चलाता है अथवा आवश्यक मात्रा में भांग नहीं बेचता है या इस तरह से काम करता है कि जिससे सरकार को हानि होने की आशंका हो अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हों तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.3 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 अथवा आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उसके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.4 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से भांग, अफीम, मदिरा या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से भांग बेचने का या अफीम या मदिरा या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका संबंध है जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.5 यदि अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 अथवा नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 अथवा निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों अथवा समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.6 अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी, अनुज्ञाधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त अनुज्ञापत्र निरस्त कर सकेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अनुज्ञाधारी अथवा उसके वारिस किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे।

8.7 अनुज्ञापत्र निरस्त करने वाले अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञापत्र को अनुज्ञाधारी की जोखिम एवं लागत पर निरस्त कर उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि (अमानत राशि को सम्मिलित करते हुये) को जब्त सरकार कर सके। साथ ही समूह के पड़त रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके

से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे सम्बन्धित अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू-राजस्व की बकाया वसूली की भौति उनकी समस्त चल-अचल सम्पतियों से, उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नहीं होंगे।

9. cdk; k jkf' k; ka dh ol wyh :-

अनुज्ञाधारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व की बकाया की भौति अनुज्ञाधारियों, उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से की जायेगी। अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।

10. vl; fclh :-

- 10.1 अनुज्ञाधारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह आबकारी अधिनियम व नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट के तहत घटित अपराध उसकी जानकारी में आने पर जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को अविलम्ब सूचना देगा।
- 10.2 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।
- 10.3 इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा।

अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर

ifrl fon

अनुज्ञापत्र संख्या जिला

समूह का नाम

मैं/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985, निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

- 12 अनुज्ञाधारी राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 एवं इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों एवं समय समय पर जारी होने वाले विभागीय निर्देशों की पूर्ण पालना करेगा। इसमें से किसी का भी उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा। वर्ष के दौरान यदि अनुज्ञाधारी का भाग खुदरा अनुज्ञापत्र किसी कारण से निरस्त हो जाता है तो यह थोक अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

जिला आबकारी अधिकारी

if r l fon

अनुज्ञापत्र संख्या ----- जिला----- समूह का नाम
----- मै/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के
संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों,
नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक
सब्सटेन्सेज रूल्स 1985, निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, हमारे पक्ष में जारी की गई
स्वीकृति एवं समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
आबकारी निरीक्षक,
वृत्त

प्रति हस्ताक्षर

जिला आबकारी अधिकारी

वर्ष 2010–11 के लिये भांग खुदरा समूहों के नाम, समूह में दुकानों की संख्या, आरक्षित राशि एवं अमानत राशि का विवरण

क्र. सं.	राजस्व जिला	भांग खुदरा समूह का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के लिये समूह की आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	10 प्रतिशत अमानत राशि (लाख रुपये में)
1	अजमेर	अजमेर	29	53.61	5.36
2	चुरु	चुरु (श्री डूंगरगढ़ तहसील को छोड़कर)	6	2.60	0.26
3	जालौर	जालौर	6	4.53	0.45
4	भरतपुर-धौलपुर	भरतपुर	28	53.67	5.37